<u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.—586 / 11</u> <u>संस्थापित दिनांक—15.12.2011</u> Filling no- 235103001352011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1— लक्ष्मण पुत्र लाखन सिह यादव उम्र 28 साल निवासी— ग्राम टाडा श्यामगढ तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 382, 506 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 27.11.2011 को शाम 6:30 बजे ग्राम नयावार नाला के पास सिरसौद प्राणपुर के बीच फरियादी सुजान के साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 4 हजार रूपये उसकी अनुमित के बिना निकालकर चोरी किये एवं सुजान को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर संत्रास कारित किया।

02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी सुजान सिंह ने अपने पिता भानसिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 27. 11.2011 में वह प्राणपुर में चाचा मुसलमान के यहां बकरा, बकरी बेची थी, जिसके पैसे लेने आया था, चाचा ने उसे 4000/— रूपये दिये थे। वह शाम को सिरसौद वाली बस में अपने घर लड़ेरी तरफ जा रहा था कि बस जैसे ही नागवार नाले के पास पहूँची तो वह पेशाब करने नीचे उतरा, नीचे रोड पर खड़े लक्ष्मण यादव ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला की उसे लात क्यों मारी दिखता नहीं है, उसने मना किया तभी उसकी लात घुसो से तथा लाठियों से मारपीट की जिससे उसके सिर में बांये हाथ के कोंचा में, दाये पैर के तलवा में, पुट्ठे में चोटे आई थी, मारपीट के दौरान लक्ष्मण ने उनकी जेब में रखे 4000/— रूपये नगद निकाल लिये, उसने पैसे मांगे तो लक्ष्मण बोला कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। रूपये उसने लाल रंग के रूमाल में रखे थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार

Filling no- 235103001352011

किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.11.2011 को शाम 6:30 बजे ग्राम नयावार नाला के पास सिरसौद प्राणपुर के बीच आपने फरियादी सुजान के साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 4 हजार रूपये उसकी अनुमति के बिना निकालकर चोरी किये ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी सुजान को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर संत्रास कारित किया ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न क0 2:-

- 05— अभियुक्तग के विरुद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी सुजान अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी साक्षी ने फरियादी की उक्त बात का समर्थन नहीं किया है। फरियादी सुजान अ0सा01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही घटना दिनांक को सूचनाकर्ता सुजान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाये जाने का तथ्य फरियादी को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास्त कारित होने की विपरीत रिथति प्रकट करता है।
- 06— उल्लेखनिय है कि भा0द0स0 की धारा 503 में परिभाषित ''आपराधिक अभित्रास'' का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध ६ । टित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि

Filling no- 235103001352011

भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है।

07— शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमिकयां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क0 01:-

08- फरियादी सूजान अ०सा०1, मानसिह अ०सा०2, प्रताप अ०सा०3, वीरन अ०सा०4, सगीर खांन अ0सा05, मौजूद्धीन अ0सा06, नौशाद अ0सा07 ने उनके कथनो में बताया कि वे आरोपी लक्ष्मण को जानते है। फरियादी सुजान अ०सा०१ का कहना है कि ६ ाटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 2-3 साल पहले की है, वह प्राणपुर से उसके घर लडेरी टैक्सी से जा रहा था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने प्राणपूर में बकरी बेची थी जिनके पैसे लेने गया था और उसके पास 10 हजार रूपये थे, वह पैसे लेकर अपने घर जा रहा था। उक्त साक्षी का कहना है कि हरीपूरा पर आरोपी लक्ष्मण ने पहले उसे थप्पडो से मारा फिर वह घर पर भाग गया और कोई घटना आरोपी ने उसके साथ कारित नहीं की, जिसके संबंध में उसके द्वारा अशोकनगर में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उसकी डण्डे से मारपीट की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने कहा कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके 4 हजार रूपये निकाल लिये थे अथवा नहीं। स्वतः कहा वह तो मारपीट के बाद घटना स्थल से भाग गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसने लक्ष्मण की झुठी रिपोर्ट की थी और इस बात से भी इंकार किया कि वह टैक्सी से गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी।

09— मानसिह अ0सा02 ने उसके कथनो में बताया कि फरियादी सुजान उसका बेटा है, लक्ष्मण ने सुजान सिह को मारा था, करीब 5—7 साल पहले मारा था। उक्त साक्षी का कहना है कि सुजान सिह प्राणपुर से बकरी के पैसे लेकर लडेरी घर जा रहा था कि हरीपुरा पर लक्ष्मण सिह ने उसके साथ मारपीट की थी। लक्ष्मण सिह ने पत्थर व

Filling no- 235103001352011

लाठियों से मारा था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे सुबह घटना के बारे में रामिसह कुशवाह ने बताया था, इसके अलावा उसे घटना की जानकारी नहीं है, मेरे लडके को पता होगी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से यह पूछने पर कि आरोपी ने सुजान की जेब से 4 हजार रूपये निकाले थे या नहीं, तो साक्षी का कहना है कि 4 रूपये नहीं बिल्क पूरे 14 हजार रूपये निकाल लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह घटना के समय सुजान के साथ नहीं था और न ही वह यह बता सकता है कि सुजान के साथ कीन कीन था।

- 10— सगीर खांन अ0सा05 ने बताया कि वह ग्राम लडेरी में खेती करता था, इसलिये सुजान सिंह को जानता है, उसके सुजान सिंह के पिता मानसिंह से 5 बकरी व 5 बच्चे खरीदे थे, जिसके पैसे मानसिंह को देने के लिये वह जा रहा था, रास्ते में मानसिंह का लडका सुजान सिंह मिला जिसे उसके 13,500 / रूपये दे दिये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके बाद क्या हुआ उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी प्रताप अ0सा03, वीरन अ0सा04 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 11— मौजूद्धीन अ0सा06 ने उसके कथनो में बताया कि वह फरियादी सुजान सिंह को नहीं जानता है और आरोपी तथा फरियादी के मध्य किसी घटना क्रम की उसे कोई जानकारी नहीं है किन्तु उक्त साक्षी द्वारा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 मेमो का ज्ञापन प्र.पी. 7 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 के ए से ए भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। उक्त साक्षी का कहना है कि उससे उस समय दरोगा जी ने कहा था कि आरोपी लक्ष्मण को पकड़कर लाए है इसलिये हस्ताक्षर कर दो। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने बताया कि आरोपी से उसके समक्ष लूट के संबंध में बातचीत चल रही थी किन्तु घटना पुरानी होने से वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके समक्ष मेमोरेडम के ज्ञापन प्र.पी. 7 का ए से ए भाग दिया था अथवा नहीं। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी से उसके समक्ष दरोगा जी ने एक रूमाल पोटली जैसा लाल रंग का जप्त किया था किन्तु उसमे पैसे थे या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी से पैसो की जप्ती नहीं हुई थी।
- 12— नौशाद अ0सा07 ने उसके कथनों में बताया कि आरोपी कई बार अन्य अपराधों में पकड़ा गया है हो सकता है कि लूट के अपराध में आरोपी को पकड़ा हो। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी को कई बार उसके समक्ष पकड़ा गया इस कारण वह नहीं बता सकता कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी को कब और किस अपराध के संबंध में पकड़ा गया था। उक्त साक्षी ने प्र.पी. 6 के गिरफ्तारी पंचनामा, प्र.पी. 7 के मेमोरेडम कथन एवं प्र.पी. 8 के जप्ती पंचनामें के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, इसके अलावा उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया।

Filling no- 235103001352011

- 13— डॉ० अजय सिंह अ०सा०१ ने बताया कि दिनांक 28.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को आहत सुजान का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसकी बांयी कलाई के पिछले भाग में एक नीलगू निशान 2 गुणा 0.5 सेमी एवं सिर के ऑक्सीपिटल भाग में एक फटी चोट त्वचा की गहराई तक पाई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि आहत को आई हुई चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आना संभव है, उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र. पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति धीमी गित से चलती बस से उतरता है तो उक्त चोटे आना संभव है।
- 14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में घटना के संबंध में फरियादी सुजान अ0सा01 के कथन आरोपी द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहे है और साक्षी के कथनो का समर्थन मानसिह अ0सा02 की साक्ष्य से भी होता है। घटना के संबंध में फरियादी सुजान अ0सा01 के कथनो की समपुष्टि सुसंगत अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 से भी होती है। आहत सुजान को घटना दिनांक को चोट आने संबंधी कथनो का समर्थन डाँ० अजय सिह अ0सा09 के कथनो से भी होता है। अभिलेख पर आहत सुजान के कथनो पर अविश्वास किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है।
- 15— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुजान की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, किन्तु आरोपी द्वारा फरियादी सुजान सिंह से अभियोजन कथा अनुसार 4000/-रूपये छीन लिये जाने वाली बात का समर्थन स्वयं फरियादी सुजान सिह द्वारा उसके कथनो में नहीं किया गया और स्वयं फरियादी सुजान का उसके न्यायालयीन कथनो में कहना है कि हरीपुरा पर लक्ष्मण द्वारा थप्पडो से मारने पर वह घर भाग गया था और उसे कान के पास में हाथ में चोट लगी थी, इसके अलावा और कोई घटना आरोपी ने उसके साथ नहीं की। अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने कहा कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके 4 हजार रूपये लिये थे अथवा नहीं। स्वतः कहा कि वह तो मारपीट के बाद घटना स्थल से भाग गया था। इस प्रकार फरियादी सुजान सिंह से आरोपी द्वारा 4 हजार रूपये छीनने वाली बात का समर्थन स्वयं फरियादी ने ही नहीं किया है। यद्यपि प्रकरण के विवेचना अधिकारी डी.एस. राठौर अ०सा०८ ने उसके कथनो में बताया कि आरोपी द्वारा मेमोरेडम के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी द्वारा पेश करने पर उसके घर से 500 / - रूपये लाल रंग के रूमाल में जप्त किये थे और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 8 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त जप्ती से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि स्वयं फरियादी सुजान अ0सा01 द्वारा आरोपी द्वारा उससे रूपये छीनने वाली बात का समर्थन नहीं किया है।

दाण्डिक प्रकरण कमांक—**586 / 11** Filling no- 235103001352011

16— अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर आरोपी द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 382 भा०द०स० के संबंध में भी आरोप विरचित किया गया है। किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०स० की घारा 382 के संबंध में अपराध प्रमाणित न होकर धारा 323 भा०द०स० के संबंध में अपराध प्रमाणित होना दर्शित है। धारा 382 भा०द०स० धारा 323 भा०द०स० से अधिक कारावास से दण्डनीय होकर गुरूत्तर अपराध है, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 382 भा०द०स० का आरोप विरचित कर धारा 323 भा०द०स० के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाये जाने पर उसपर विचारण के दौरान किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा०द०स० के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है और उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त धारा 506 भाग दो व धारा 382 भा०द०स० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है, परन्तु धारा 323 भा०द०स० के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

17— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

- 18— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त करीब साढे सात माह से न्यायिक निरोध में है। अतः अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अविध से दिण्डित किये जाने की प्रार्थाना की। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं।
- 19— अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी दिनांक 03.12.2011 से 13.12. 2011 तक तत्पश्चात 17.04.2017 से आज दिनांक 21.11.2017 तक अर्थात कुल 7 माह 15 दिन तक न्यायिक निरोध में रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे आरोपी का यह प्रथम अपराध होना अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है। अतः प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को उसके द्वारा न्यायिक निरोध में भुगती गई अविध से दिण्डत किया जाता है।
- 20— अभियुक्त दिनांक 03.12.2011 से 13.12.2011 तक तत्पश्चात 17.04.2017 से

Filling no- 235103001352011

आज दिनांक 21.11.2017 तक अर्थात कुल 7 माह 15 दिन तक न्यायिक निरोध में रहा है। निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

- 21- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 22- अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।
- 23- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0